

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 23/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर  
- प्रार्थी

बनाम 1. श्री सुरेश रंगलानी पुत्र चंदजी, मैसर्स सागर कन्फेक्शनरी, एफ-109, रीको ग्रोथ सेन्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 54

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

## आदेश

दिनांक 11.07.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सुरेश रंगलानी पुत्र चंदजी, मैसर्स सागर कन्फेक्शनरी, एफ-109, रीको ग्रोथ सेन्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का विक्रय कर रहा था। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विक्रता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना Food Containing Extraneous Matter under section 3(1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 due to presence of Foreign Starch होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 23.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 05.07.2022 को कार्यालय हाज़ा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में उभयपक्षकारान् उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण Food Containing Extraneous Matter under section 3(1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 due to presence of Foreign Starch होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) में Food Containing Extraneous Matter under section 3(1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 due to presence of Foreign Starch. पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना अवमानक होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने बहस में बताया कि आम पापड आपस में चिपके नहीं इस बाबत् यह पाउडर लगाया गया, जिससे कोई मानव हानि नहीं होती हैं। फिर भी पहली गलती मानकर क्षमा किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./338 /एक्ट/2022/159 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज



*Luk*

जिला मजिस्ट्रेट

ऐसेन्स से निर्मित) में Food Containing Extraneous Matter under section 3(1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 due to presence of Foreign Starch पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना अवमानक होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा Food Containing Extraneous Matter under section 3(1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 due to presence of Foreign Starch पाया गया। आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आम पापड (आम पापड, बोर पाउडर एवं ओरेन्ज ऐसेन्स से निर्मित) का विक्रय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 54 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 54 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/-रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा कराकर चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ।
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. श्री सुरेश रंगलानी पुत्र चंदजी, मैसर्स सागर कन्फेक्शनरी, एफ-109, रीको ग्रोथ सेन्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
भीलवाडा